



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 149]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2000/फाल्गुन 17, 1921

No. 149]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2000/PHALGUNA 17, 1921

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2000

सा. का. नि. 230 (अ).—केन्द्र सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) विनियम, 2000 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

कंडला पत्तन न्यास

अधिसूचना

महापत्तन न्यास की अधिनियम 1963 (1963 की 30) की धारा 20 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम :

- ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) विनियम 2000 कहे जायेंगे।
- ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पात्रता :

ये विनियम निम्नलिखित व्यक्तियों को लागू होंगे :—

- बोर्ड के कर्मचारियों की अनुसूची में दर्ज सभी कर्मचारी।
- “ए”, “बी” तथा “सी” प्रवर्ग के तटीय कामगार।
- बोर्ड द्वारा काम पर लगाए गए दिहाड़ी कामगार केवल बहिरंग चिकित्सा परिचर्या पाने के पात्र होंगे।
- ऐसे प्रशिक्षु जो पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड की पूर्णकालिक सेवा में हैं वे केवल बहिरंग चिकित्सा परिचर्या पाने के पात्र होंगे।

- (v) राज्य/केन्द्र सरकार, अन्य पोर्ट ट्रस्टों तथा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आए सभी कर्मचारी उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के प्रावधान के अधीन रहते हुए।
- (vi) नीचे विनियम 9 में यथा परिभाषित खंड 1 तथा 2 में सूचीबद्ध बोर्ड कर्मचारियों के परिवार के सदस्य।
- (vii) पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में समय-समय पर यथा संशोधित कंडला पोर्ट ट्रस्ट सेवानिवृत्त कर्मचारी (अंशदायी बहिरंग तथा अन्तरंग चिकित्सा लाभ) योजना 1996 के अनुसार बोर्ड द्वारा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

3. परिभाषा :

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो :—

- (i) अधिनियम से महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 अभिप्रेत है।
- (ii) "अनुमोदित अस्पताल" से अभिप्रेत है कंडला पोर्ट ट्रस्ट, केन्द्र सरकार, रेलवे द्वारा संचालित अस्पताल और औषधालय तथा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण तथा नगरपालिका समिति अथवा निगम, जिला बोर्ड आदि द्वारा संचालित अस्पताल अथवा ऐसे अन्य अस्पताल और संस्थान जिन्हें कंडला पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा समय-समय पर मान्यता प्रदान की गई है।
- (iii) "बोर्ड" से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन यथा निर्मित और समय-समय पर यथा संशोधित कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल अभिप्रेत है।
- (iv) "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" और "विभाग प्रमुख" का वह अर्थ होगा जो इनके लिए महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 में नियत किया गया है।
- (v) "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" से पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड का मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा विभाग का प्रमुख अभिप्रेत है।
- (vi) "चिकित्सा अधिकारी" से कंडला पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के चिकित्सा विभाग के नियोजन में कार्यरत चिकित्सक और पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अंशकालिक आधार पर काम पर लगाए गए विशेषज्ञों के साथ-साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जब ऐसा संदर्भ दिया जाए तब रोगियों से संबंधित सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत हैं।
- टिप्पणी : (1) पोर्ट अस्पतालों की प्रसीमा के बाहर के अंशकालिक विशेषज्ञ प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी के समान ही हैं अतः इन विनियमों के अधीन उन्हें प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या देने वाला नहीं माना जा सकता।
- (2) चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके अवकाश पर रहने के दौरान कोई भी चिकित्सा परिचर्या/उपचार नहीं दिया जा सकता।
- (vii) "वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी" के पोर्ट ट्रस्ट मंडल के वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी तथा वित्त विभाग का प्रमुख अभिप्रेत है।
- (viii) "कर्मचारी" से बोर्ड का अस्थायी अथवा स्थायी कर्मचारी अभिप्रेत है। [कृपया इन विनियमों के विनियम 2 के उप विनियम (i) से (iv) भी देखें]।
- (ix) "रोगी" से अभिप्रेत है पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड का कर्मचारी, उसके पात्र परिवार के सदस्यों में से कोई सदस्य और उक्त विनियम 2 के अधीन शासित अन्य व्यक्ति जो बीमार हो गये हैं और बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर ट्रस्ट के अस्पताल सरकारी अस्पताल अथवा ऐसी ही कोई अन्य मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार/चिकित्सा परिचर्या पा रहे हैं।
- (x) "प्राइवेट चिकित्सक", अथवा "प्राइवेट अस्पताल" से उक्त उप विनियम (ii) और (vi) में दिए गए बोर्ड के चिकित्सक/अस्पताल के अलावा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/अस्पताल अभिप्रेत है।
- (xi) "संस्वीकृत प्राधिकारी" से इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में यथा निर्धारित अस्पताल के प्रभारों, औषधि के मूल्य आदि की प्रतिभूति के प्रयोजनार्थ संस्वीकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है।
- (xii) "ट्रस्ट के अस्पताल" से कंडला पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल तथा विभिन्न स्थानों पर कार्यरत उसके औषधालय अभिप्रेत हैं।
- (xiii) "उपचार" से उक्त उप विनियम (ii) के अनुसार अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न संकायों की समस्त सुविधाओं का उपयोग अभिप्रेत है, इसमें ये भी समाविष्ट हैं :—
- (क) उक्त उप विनियम (vi) में यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे गए पैथॉलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल कार्डियोलॉजिकल अथवा अन्य कोई पद्धति का नियोजन।
- (ख) बोर्ड के अस्पताल के उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा अथवा जिस विशेषज्ञ को केस संदर्भित किया गया है उसके द्वारा यथा निर्धारित किए गए ऐसे टीके, सीरज, अन्य थेराप्यूटिक पदार्थ अथवा दवाएं जिनमें किसी भी रूप में विटामिन, डेक्सट्रास, लौह योग कॉलिक एसिड, कैल्सियम आदि भी समाविष्ट हैं, जो आमतौर पर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती परन्तु जो सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम धारा 3 पर आधारित नीचे दिए गए विनियम 6 में यथा परिभाषित कुछ खास प्रकार के रोगों अथवा

अन्य प्रकार की बीमारियों में रोगी की प्राण रक्षा के लिए अथवा रोगी की हालत गंभीर रूप से बिगड़ जाने से रोकने के लिए अत्यावश्यक हैं, सिवाय कि :—

- (i) ऐसी विरचना जो औषधियां नहीं हैं बल्कि वे केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम की अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट मुख्यतः खाद्य, प्रसाधन विरचना अथवा विसंक्रामक प्रकार के हैं।
 - (ii) केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम की अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट मंहगी औषधियां, मृदु विरेचक अथवा अन्य अपमार्जक तथा स्वाम्य विरचनाएं तथा ऐसी औषधियां जिनके समान उपचारार्थ मूल्य की औषधियां उपलब्ध हैं।
 - (iii) आयुर्वेदिक, यूनानी, सीधा तथा होम्योपैथिक पद्धतियों के संबंध में विहित की जाने वाली ऐसी दवाएं और मदों की सूची जिनकी प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय है वह केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम की परिशिष्ट की अनुसूची-III में यथा परिभाषित के प्रतिपूर्ति समान होगी।
- (ग) मालिस का उपचार केवल बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अन्य चिकित्सा अधिकारी अथवा संदर्भित अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह के अनुसार लिए जाने पर ही मालिस का उपचार अनुज्ञेय होगा।
 - (घ) फिजियोथैराप्यूटिक अथवा व्यावसायिक थैराप्यूटिक उपचार के संबंध में किए गए व्यय अनुज्ञेय होंगे बशर्ते कि दुर्बलता/दोष दूर करने के लिए लिया गया जो किसी रोग/दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए किसी विशेष शारीरिक दुर्बलता/दोष को दूर करने के लिए उपचार लिया गया हो किन्तु, यदि यह उपचार (क) सामान्य शारीरिक स्वस्थता/क्षमता बढ़ाने के लिए, (ख) प्रसाधन प्रयोजनार्थ, (ग) शरीर का गठन, बनावट सुधारने आदि के लिए किए गए हैं तो कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
 - (ङ) एक ही प्रकार की बीमारी के लिए एक साथ चिकित्सा की एक से अधिक पद्धति द्वारा उपचार नहीं किया जाएगा। अलग-अलग बिमारी के लिए एक साथ उपचार लिए जाने की स्थिति में प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि दोनों ही पद्धतियों में परिचर्या देने वाले चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित किया जाए कि उन दोनों की जानकारी में यह उपचार लिया गया है।
 - (च) रक्त खरीदने अथवा पोर्ट ट्रस्ट अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों और इस प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों में रक्त दान पर किया गया व्यय प्रतिपूर्ति योग्य है।
 - (छ) कमरे के किराये सिवाय विभिन्न मदें जैसे पंजीकरण, सेवाएं, प्रक्रियाएं, औषधियां, ऑपरेशन थियेटर, शल्य क्रियाएं, परामर्श आदि पर हुआ व्यय की पूर्णरूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी।
 - (ज) ऐसी स्थान सुविधा जो अस्पताल में आमतौर पर उपलब्ध है और कर्मचारी की हैसियत के अनुकूल है। गुजरात राज्य के अनुमोदित अस्पतालों के मामले में जी. आर. एम. आई, अहमदाबाद में लागू दरें तथा राज्य से बाहर जिस अस्पताल को रोगी संदर्भित किया गया है उसकी अनुमोदित दर ही प्रतिपूर्ति को विनियमित करने की मानदंड होगी। पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी के मामले में उनकी पात्रता के अनुसार निम्नवत दर्शाए ढंग से स्थान सुविधा की श्रेणी निर्धारित की गई है जो समय-समय पर उचित रूप से परिशोधित की जाएगी :

(क) रु० 3500 तक वेतनमान	:	सामान्य वार्ड
(ख) रु० 3501 से रु० 4500 तक वेतनमान	:	अर्ध प्राइवेट
(ग) रु० 4501 से 7000 तक वेतनमान	:	प्राइवेट-II
(घ) रु० 7001 तथा अधिक वेतनमान	:	प्राइवेट-I

किन्तु, आहार संबंधी विशेष सामग्री, दूध, चाय/काँफी, टेलीफोन, प्रसाधन सामग्री, स्वच्छ वस्तु के मूल्य की प्रतिपूर्ति नहीं होगी, जहां स्थान सुविधा की दरों में आहार का प्रावधान भी शामिल हो दरें 2% कम कर दी जाएं।

टिप्पणी :— संबंधित कर्मचारी की हैसियत के अनुरूप स्थान सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में उच्चतर श्रेणी की स्थान सुविधा दी जा सकती है परन्तु इसके लिए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाए।

- (क) कि रोगी को दाखिल करते समय उचित श्रेणी की स्थान सुविधा उपलब्ध नहीं है और ;
- (ख) कि जब तक उचित श्रेणी का स्थान सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक रोगी को अस्पताल में दाखिल करने में विलम्ब करने से उसके स्वास्थ्य को खतरे में पड़ने का अंदेशा है।
- (ग) कि यहां तक कि उचित श्रेणी की स्थान सुविधा के उपलब्ध होने पर भी डाक्टर सलाह के अनुसार रोगी को एक जगह से हटाना सही नहीं माना जाए।

(घ) कि जिन मामलों में रोगी को बीमारी की गंभीरता, शल्य चिकित्सा संबंधी प्रक्रिया आदि के कारण कुछ खास समय के लिए किसी खास तरह की स्थान सुविधा की आवश्यकता हो और मान्यता प्राप्त अस्पतालों के उपचार करने वाले विशेषज्ञ जिसे अत्यन्त आवश्यक समझे और रोगी के लिए और कोई विकल्प नहीं होने पर उक्त मद्दे किया गया व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(1) ऐसी परिचर्या जो आमतौर पर अस्पताल द्वारा अन्तरंग रोगियों को दी जाती है और रोगी की गंभीर हालत के कारण उपचार करने वाले विशेषज्ञ द्वारा कुछ खास घंटों/दिवसों के लिए अत्यावश्यक समझी जाए।

4. चिकित्सा परिचर्या :

(i) "चिकित्सा परिचर्या" और "चिकित्सा उपचार" में अन्तर है। "चिकित्सा परिचर्या" का अभिप्रेत है अस्पताल अथवा औषधालय के बाह्य रोगी विभाग की परिचर्या। चिकित्सा परिचर्या के दौरान इंजेक्शन, औषधियों आदि का मूल्य प्रतिपूर्ति योग्य होता है। अतः ऐसी चिरकारी बीमारी जिसके लिए काफी लंबे उपचार की आवश्यकता होती है, को छोड़कर एक बार में 10 दिनों से अधिक समय के लिए दवाएं विहित नहीं की जा सकती हैं।

(ii) कर्मचारी और उसके परिवार के पात्र आश्रित सदस्य बोर्ड के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या पाने के हकदार होंगे।

5. चिकित्सा उपचार :

(i) एक मात्र रोगी को पोर्ट ट्रस्ट अस्पतालों में निःशुल्क अंतरंग उपचार पाने के हकदार होंगे।

(ii) जब या तो पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में सुविधाओं का अभाव होने के कारण या रोगी पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल से आठ किलोमीटर की दूरी पर बीमार पड़ जाता है और पोर्ट ट्रस्ट का चिकित्सा अधिकारी रोगी के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त अस्पताल अथवा राज्य सरकार के अस्पताल को संदर्भित करता है तो ऐसा बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुमति से ही हो सकता है। जब उपचार प्रारंभ करने पूर्व ऐसी अनुमति नहीं ली जा सकी हो तो दाखिल होने के तुरन्त बाद तत्संबंधी कारण बताते हुए यह अनुमति ले ली जाए।

(iii) उक्त उप विनियम (i) तथा (ii) के अधीन संदर्भित केशों के मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिए गए प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण पर उस प्रकार के उपचार के मद्दे कर्मचारी द्वारा अदा की गई किसी भी राशि की बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। उक्त उप विनियम 3(xiii) के अनुसार ही विभिन्न प्रयोजनों के लिए दरों का मान लागू होगा।

(iv) जैसा बोर्ड के चिकित्सा अधिकारियों और संदर्भित अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ द्वारा आवश्यक समझा जाए कर्मचारियों के अपने अथवा उनके परिवार के सदस्यों के संचारणशील, सांसर्गिक तथा सक्रामक बीमारियों के मामलों में प्रतिरक्षण तथा रोग निरोगी उद्देश्य से लिए गए उपचार के मद्दे प्रभारित व्यय उन कर्मचारियों का प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य है।

6. अन्य चिकित्सा सुविधाएं :

(i) इन विनियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के उपचारों के लिए प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय हैं :—

1. अविटामिनता तथा अल्पविटामिनता।

2. तिरछेपन (आंख) को ठीक करना।

3. सामान्य दुर्बलता तथा गौण रक्ताल्पता पैदा करने वाले रोग।

4. रतिज रोग तथा प्रलाप ट्रीमेन।

5. पोर्ट ट्रस्ट अस्पतालों/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संदर्भ पर सरकारी अस्पताल और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रसूति पूर्व प्रसव तथा प्रसूति पश्चात् उपचार।

6. पोर्ट ट्रस्ट अस्पतालों/सरकारी अस्पताल में निष्पादित सगर्भता की चिकित्सीय समाप्ति।

7. बन्धीकरण संबंधी शल्यक्रिया

8. एन्टीरेबिक उपचार

9. दन्त्य उपचार—(केवल अनुमोदित अस्पतालों में) पायरिया और मसूढ़ा शोध दाँतों को भरना (नकली दाँत का मूल्य प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है) रूट केनाल उपचार सहित दन्तार्बुद और अनतर्घट्ट बुद्धि को हटाने, निकालने, शल्कन तथा मसूढ़े के उपचार हेतु आवश्यक शल्य चिकित्साएं।

टिप्पणी :—यदि ऐसी उपचार सुविधा कंडला पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संसूचन से सरकारी अस्पताल में दन्त्य उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित विद्यमान सुविधाएं प्राइवेट मान्यता प्राप्त अस्पतालों में लिए गए समान उपचार तक भी बढ़ायी जाए।

10. बन्धीकरण संबंधी उपचार**विशेष रोग**

केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित

11. कैंसर/मधुमेह/मानसिक

रोग/पोलियो/प्रमस्तिष्क अंगघात तथा स्पेस्टिक्स/टीबी रोग/कुष्ठ रोग/गंभीर थेलेसेमिया आदि

बड़ी/गंभीर बीमारियाँ

12. हृत्वाहिका संबंधी शल्यक्रिया तथा उनसे संबंधित रोग

13. किडनी प्रतिरोपण तथा संबंधित रोग

14. अन्य अंगों का प्रतिरोपण

15. संधि प्रतिस्थापन तथा शल्यक्रिया

16. बोन मेरो प्रतिरोपण

17. चिकित्सीय तथा अबुद्ध प्रकरण संबंधी विकार यथा ल्यूकीमिया तथा नियोप्लास्टिक स्थितियाँ

18. सूक्ष्म वाहिकाय शल्यक्रिया तथा तंत्रिका शल्यक्रिया

19. लेसर द्वारा उपचार ताकि खुली शल्यक्रिया की आवश्यकता दूर हो सके

20. नेत्र संबंधी मामलों में आर्गन, क्रिप्टन तथा येग लेसर द्वारा उपचार

21. पराश्रण्य आघात, तरंगों आदि द्वारा अतिरिक्त शरीरिक अशम अवखंडन

22. कृत्रिम साधन—निम्नलिखित केसों में पोर्ट ट्रस्ट के/बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर सरकारी अस्पताल अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक प्रमाणित किया जाए तो प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय होगी :—

(क) कृत्रिम विकलांग उपकरणों की अधिप्राप्ति/व्यवस्था/मरम्मत

(ख) कृत्रिम श्रवण यंत्र की अधिप्राप्ति/व्यवस्था/मरम्मत

(ग) हृदय गतिप्रेरक का मूल्य तथा नाड़ी जनित्र का प्रतिस्थापन

(घ) रोगी हृदय, वाल्वों, कृत्रिम इलेक्ट्रॉनी स्वरयंत्र का प्रतिस्थापन

(ङ.) घुटने तथा कूल्हारोपण का मूल्य

टिप्पणी :—

- (क) संबंधित विशेषज्ञों के संसूचन पर एकबार जिन कृत्रिम उपकरणों को खरीदा गया है यदि उनकी मरम्मत/व्यवस्था करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उपकरणों की मरम्मत/व्यवस्था का मूल्य उनके प्रतिस्थापन के मूल्य से कम हो।
- (ख) जिन रोगियों को कृत्रिम उपकरण विहित किए गए हैं उन्हें तीन वर्षों के बाद और अधिकतम तीन बार की सीमा तक उन उपकरणों के मूल्य की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
- (ग) ऐसे कृत्रिम उपकरण जिनका मूल्य कर्मचारी और उनके परिवार के पात्र सदस्यों के लिए प्रतिपूर्ति योग्य हैं उन उपकरणों की सूची केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- (ङ) यदि बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर ही पोर्ट ट्रस्ट/सरकारी अस्पताल और मान्यता प्राप्त अस्पताल के विशेषज्ञ की सलाह सी टी स्कैन किया गया है तो उसके प्रभार प्रतिपूर्ति योग्य है।
- (IV) इन विनियमों में यथा परिभाषित कर्मचारियों के अपने अथवा उसके परिवार के पात्र सदस्य के संबंध में किडनी दाता के लिए व्यय किए गए शल्यक्रिया/चिकित्सीय प्रभार।
- (V) अंतः नेत्रिका लेंस प्रतिरोपण :—(क) यदि सरकारी अस्पताल में किया गया हो तो प्रतिरोपण तथा उपचार संबंधी वास्तविक मूल्य, यदि प्राइवेट मान्यता प्राप्त अस्पतालों में किया गया हो तो रु. 6500/- का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो। ऐसे मामलों में चश्मों यदि कोई हो तो, के मूल्य की प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय नहीं है।

- (ख) रूढ़ीगत मोतिया बिन्दु शल्यक्रिया के संबंध में दूर/निकट दृष्टि को ठीक करने हेतु रु. 200/- की सीमा तक चश्मों का मूल्य प्रतिपूर्ति योग्य होगा। यदि पोर्ट ट्रस्ट के नेत्र विज्ञानी द्वारा संसूचन किया जाता है तो प्रत्येक तीन वर्षों में चश्मों का प्रतिस्थापन अनुज्ञेय है।
- (ग) केवल परिवार के सदस्यों के लिए ही अनुज्ञेय है।

7. चिकित्सा परिचर्या/उपचार प्रभारों की प्रतिपूर्ति की मांग की संस्वीकृति संबंधित प्रक्रिया

- (I) इन विनियमों के अधीन शासित अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति संबंधी दावे कर्मचारी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी/विभाग प्रमुख को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम में यथा परिभाषित निर्धारित प्रपत्र में उपचार पूरा करने तारीख से 90 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किए जाए। यदि उपचार की अवधि बढ़ाई और चालू रखी गई तो उक्त दावे, चरणों में जिसकी अवधि 30 दिनों से कम न हो प्रस्तुत किए जाए।
- (II) निर्धारित समय सीमा के बाद दावे के प्रस्तुतीकरण में विलंब होने पर उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा उस दावे पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रत्येक केस के गुणों के आधार पर संबंधित नियंत्रण अधिकारी उस विलंब को माफी दी जा सकती है।
- (III) संबंधित कर्मचारी द्वारा जिस अस्पताल से रोगी ने उपचार लिया है वहां से निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित वाउचर तथा प्रमाणपत्र लेकर दावे के साथ प्रस्तुत किए जाएं :
- (क) अस्पताल के बिल जिस पर रोगी का पूरा नाम और यदि परिवार के सदस्य से संबंधित हो तो संबंधित कर्मचारी का नाम तथा पूर्ण विवरण विभिन्न प्रभारों के ब्यौरे भी दिए जाएं।
- (ख) यदि बिल की रसीद नहीं है तो किए गए भुगतान की रसीद।
- (ग) प्रवेश तथा छुट्टी देने का प्रमाणपत्र।
- (घ) दवाओं को खरीदने से संबंधित कैशमेमो (मोहर लगाने अथवा आपूर्तिकर्ता की पावती की आवश्यकता नहीं है) को अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाए।
- (ङ.) संदर्भित मामलों में, कैशमेमो, अस्पताल के बिल आदि पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएं।
- (IV) संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के दावों की संविधा की जाए और जहाँ कहीं आवश्यकता हो अध्यक्ष की संस्वीकृति ली जाए और प्रतिहस्ताक्षर के बाद दावा भुगतान हेतु वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया जाए।
- (V) प्रत्येक विभाग/प्रभाग में एक ऐसा रजिस्टर बनाए रखा जाए जिसमें प्रतिपूर्ति किए गए दावों के ब्यौरे कालानुक्रम में दिए गए हों ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी सुविधाओं का दुरुपयोग रोकने हेतु आवश्यक पुनरीक्षण किया जा सके। (अनुबन्ध—1)
- (VI) एलोपैथिक पद्धति द्वारा इलाज करवाने वाला रोगी औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन तथा तद्धीन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त सभी औषध विक्रेताओं से दवाएं खरीद सकते हैं। आयुर्वेदिक यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथिक पद्धतियों से इलाज करवाने वाले रोगी के मामले में दवाएं केवल प्राधिकृत व्यापारी से ही खरीदी जा सकती हैं। सभी मामलों में, निर्धारित की गई दवाएं उसी दिन अथवा दूसरे दिन अवश्य खरीद ली जाएं।

8. चिकित्सा अग्रिम

- (I) पोर्ट ट्रस्ट के सभी कर्मचारियों को उनकी वेतन सीमा का विचार किए बिना अनुज्ञेय है।
- (II) सामान्यतः उसी बिमारी अथवा चोट के लिए एक से अधिक अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा तथापि अध्यक्ष, यदि परिस्थितियों से संतुष्ट हो तो, वह संस्वीकृत कर सकता है।
- द्वितीय/अनुवर्ती अग्रिम—ऐसे मामलों में जहां दीर्घ उपचार की जरूरत है, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की एक सीमा तक अनुमति प्रदान की जाए अन्यथा इन विनियमों के अधीन जो भी अनुज्ञेय हो और ऐसे मामलों में, पहले से संस्वीकृत अग्रिम की राशि तब तक समायोजित नहीं की जाएगी जब तक रोगी उपचार करने वाले चिकित्सक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि रोगी को लगातार उपचार की जरूरत है और भावी उपचार की प्रत्याशित खर्च की राशि कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उसे पहले से प्रदान की गई अग्रिम की राशि से कम नहीं होगी।
- (III) अन्तरणरोगी उपचार के लिए अग्रिम की राशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी सरकारी अस्पताल अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल में संदर्भित करने पर ही प्रतिबंधित है।
- (IV) टी. बी. और केन्सर के लिए बर्हिरोगी उपचार के लिए रु. 10,000/- की सीमा तक राशि अनुज्ञेय है अथवा उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत राशि, जो भी कम हो, और जहाँ उपचार की अवधि तीन महीने या उससे कम हो।

- (v) टी. बी. के लिए जहाँ उपचार की अवधि तीन महीने से अधिक हो, अस्पताल प्राधिकारी द्वारा अवधि और उपचार के खर्च का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनुमानित खर्च का 80% अथवा रु. 36,000/.
- (vi) बड़ी/गंभीर बीमारी के लिए, संबंधित अस्पताल द्वारा उपचार करने वाले विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित करने पर, राशि का 80% अथवा संपुटित सौदा जहाँ कहीं यह प्रवृत्त हो।
- (vii) उसी बीमारी और चोट के लिए, उसके लिए विहित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, अग्रिम की राशि का एक या उससे अधिक किस्तों में भुगतान किया जाए।
- (viii) विविध समय पर विविध प्रकार की बीमारियों के लिए चिकित्सा अग्रिम की राशि के रूप में आहरित की गई कुल राशि की कोई सीमा नहीं है।
- (ix) अग्रिम के रूप में दी गई राशि का, नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित दावे के विरुद्ध समायोजन हेतु ठीक से मानीटर किया जाएगा और अधिक राशि का, यदि कोई हो तो, जिस माह में उपचार पूरा होता है उसके अगले माह के वेतन में से चार किस्तों में वसूली प्रारंभ की जाएगी। लंबे उपचार के मामलों में प्रतिपूर्ति की निरंतर अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उपचार करने वाले विशेषज्ञ द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जाना आवश्यक है कि रोगी को लगातार उपचार की जरूरत है और भावी उपचार का प्रत्याशित खर्चा पहले से प्रदान की गई अग्रिम की राशि से कम नहीं होगा और ऐसे मामले में अग्रिम की राशि अंतिम दावे में समायोजित की जाएगी।
- (x) अग्रिम की राशि का सीधे ही अस्पताल को डिमांड ड्राफ्ट के जरिये भुगतान किया जाएगा न कि कर्मचारी को।
- (xi) अग्रिम हेतु आवेदनपत्र के साथ उपचार करने वाले विशेषज्ञ से ऐसा आवश्यक प्रमाणपत्र जिसमें उपचार की अवधि और उसका प्रत्याशित खर्चा दर्शाया हुआ हो, संलग्न होना चाहिए।
- (xii) गंभीर बीमारी/दुर्घटना के मामले में, जहाँ संबंधित कर्मचारी आवेदन करने में असमर्थ है, अग्रिम के राशि उसकी पत्नी/पति अथवा कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उसके बदले में लिखित रूप में दिए गए आवेदन पत्र पर संस्वीकृत की जा सकती है।

9. परिवारों के लिए छूट

- इन विनियमों के प्रयोजन हेतु शब्द "परिवार" (का अर्थ होगा किसी कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जैसा भी मामला हो, बच्चे) (कानूनी दत्तक सहित), आश्रित माँ, बाप, विधवा बेटियाँ, नाबालिग भाई और बहने जो माँ बाप, जीवित नहीं होने की दशा में पूर्णतः पोर्ट कर्मचारी पर आश्रित हैं।
- आश्रित-परिवार के सदस्य (पति/पत्नी के सिवाय) जिनकी आय प्रति माह रु. 1500 से अधिक नहीं है, पोर्ट कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित माने जाएंगे। माँ बाप जो कर्मचारी के गृह नगर के सिवाय अन्य शहर में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं, वे भी ऊपर बताई गई आय की सीमा के अधीन रहते हुए चिकित्सा सुविधाओं और तत्संबंधी प्रतिपूर्ति के पात्र हैं। तथापि संबंधित कर्मचारी द्वारा माँ बाप के आय और आवास की घोषणा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में की जानी चाहिए। पेन्शन भोगियों के मामले में, इस प्रयोजनार्थ वास्तविक पेन्शन (संराशिकरण से पहले) ली जाएगी।
- महिला कर्मचारी को यह विकल्प है कि वह या तो उसके माँ बाप अथवा उसके सास ससुर को सम्मिलित करे, पूरी सेवा के दौरान केवल एक बार ही प्रचलित विकल्प परिवर्तित किया जा सकता है।
- बच्चे, कानूनी दत्तक बच्चों सहित, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए :—
 बेटा :- कमाना शुरू करने पर अथवा 25 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले हो।
 बेटी :- आयु सीमा का ध्यान किए बिना कमाना शुरू करने पर अथवा विवाह होने पर, जो भी पहले हो।
 बेटा/बेटी :- कोई आयु सीमा नहीं।
 जो किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो (शारीरिक अथवा मानसिक)
- जहाँ दोनों पति और पत्नी पोर्ट कर्मचारी हैं, दोनों में से कोई भी एक, अपनी पसंद के अनुसार स्वयं और उसके परिवार के पात्र सदस्यों का दावा प्रस्तुत कर सकता है, इस प्रयोजनार्थ संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है कि संबंधित नियंत्रण अधिकारी

को कौन दावा प्रस्तुत करेगा। यह घोषणा तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक दोनों द्वारा लिखित निवेदन करके उसे बदला नहीं जाता है।

6. जब पति/पत्नी राज्य/केन्द्र सरकार आदि में नियोजित है—जब पोर्ट कर्मचारी का पति अथवा पत्नी, जैसा कभी मामला हो, ऐसे राज्य/केन्द्र सरकार अथवा लोक उपक्रम अथवा प्राइवेट संस्थान में नियोजित है जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ऐसी स्थिति में या तो इस विनियम के अधीन उपलब्ध सुविधाएं अथवा उस संगठन द्वारा, जिसमें नियोजित है, उपलब्ध सुविधाएं चुनने का पात्र है। विकल्प चुनने अथवा बदलने की प्रक्रिया वही होगी जो उपर्युक्त उप पैरा 5 की है।
7. प्रत्येक कर्मचारी संबंधित नियंत्रण अधिकारी से वैयक्तिक चिकित्सा पहचान पत्र तथा परिवार चिकित्सा पहचान पत्र जिसमें उसके परिवार के सदस्यों के विवरण विधिवत् प्रस्तुत होंगे, प्राप्त करेगा। पहचान पत्र में परिवार के सभी सदस्यों के जो परिवार पहचान पत्र में सम्मिलित है, फोटोग्राफ लगे होने चाहिए। "चिकित्सा परिचर्या" अथवा "उपचार" (अर्थात् अंतरंग चिकित्सा के साथ-साथ बहिरंग चिकित्सा) हेतु उपस्थित होने के समय वैयक्तिक चिकित्सा पहचान पत्र/परिवार चिकित्सा पहचान पत्र नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों को इन विनियमों के अधीन पोर्ट ट्रस्ट के अस्पताल/औषधालय अथवा कोई संदर्भ जो बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा माना गया है, में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

10. चिकित्सा परिचर्या और उपचार हेतु यात्रा भत्ता

- (i) कोई भी रोगी (चाहे पोर्ट कर्मचारी हो अथवा उसके परिवार का एक सदस्य हो) और एक परिचारक भी जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिफारिश की जाती है समुचित चिकित्सा परिचर्या अथवा उपचार हेतु रेल द्वारा, पात्र श्रेणी के अनुसार अथवा निम्न श्रेणी जिसमें वास्तविक रूप में यात्रा की गई है, सड़कें, समुद्र द्वारा की गई यात्रा के लिए, यात्रा की अवधि के दौरान यात्रा भत्ते के साथ-साथ दैनिक भत्ता भी प्राप्त करने का हकदार है। यदि रोगी उसके प्राइवेट वाहन सहित किसी अन्य वाहन के जरिये से यात्रा करता है तो यात्रा भत्ता एक सीमा तक अनुज्ञेय होगा अन्यथा रेल/सड़क यात्रा की जिस पात्र श्रेणी तक सीमित है, अनुज्ञेय होगा। तथापि रूकाव हेतु दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- (ii) ऊपर बताया गया यात्रा भत्ता केवल तब ही अनुज्ञेय होगा जब—
 - (क) पोर्ट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि समुचित चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार प्राप्त करने के लिए संदर्भित करने पर की गई यात्रा अत्यन्त आवश्यक थी।
 - (ख) की गई यात्रा शहर की सीमाओं से बाहर थी और प्रत्येक रास्ता 8 कि.मी. से अधिक था।
 - (ग) परिचारक के सिवाय रोगी की यात्रा असुरक्षित थी और रोगी को साथ देने के लिए परिचारक आवश्यक था।
- (iii) आपात स्थिति के मामले में, इन विनियमों के अधीन, रोगी को पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में लाने के लिए, उसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, प्रत्येक मार्ग 8 कि.मी. के घेरे के भीतर होगा, रोगी को मुफ्त अस्पताल गाड़ी सेवा प्रदान की जाएगी विकट आपात स्थिति में, संदर्भित करने पर बाहरी अस्पताल में ले जाने पर भी।
- (iv) अस्पताल गाड़ी प्रभारों की प्रतिपूर्ति :
 - (क) यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि रोगी द्वारा किसी अन्य वाहन से यात्रा करना उसके जीवन को खतरे में डाल देगा अथवा उसकी हालत अत्यंत गंभीर हो जाएगी।
 - (ख) यदि अस्पताल गाड़ी का उपयोग अनिवार्य चिकित्सा परीक्षा, जाँच आदि के प्रयोजनार्थ रोगी को उपचार की जगह ले जाने अथवा रोगी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जाता है।
 - (ग) यदि ऐसी अस्पताल गाड़ी का उपयोग किया जाता है जो सरकारी अथवा स्थानिक निधि अथवा सामाजिक सेवा संस्थान जैसे कि रेड क्रॉस सोसायटी, आदि की है।
 - (घ) यदि अस्पताल गाड़ी का उपयोग रोगी के शरीर को, बाह्य अस्पताल से, जहाँ वह बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संदर्भित किया गया था, अंतिम धर्मविधि हेतु मुख्यालय में लाया जाता है।
- (v) किडनी के दाता के लिए यात्रा-भत्ता—निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय है :—
 - (क) यदि दाता प्राइवेट व्यक्ति है तो पाने वाले पोर्ट कर्मचारी की दरों पर यात्रा भत्ता।

- (ख) यदि दाता अन्य सरकार का नौकर है अथवा उसके परिवार का सदस्य है, दाता सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता।
- (vi) यात्रा भत्ता अग्रिम—यदि दौरे पर जाने के दौरान अनुज्ञेय एक सीमा तक, यात्रा भत्ता अग्रिम की अनुमति बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी संदर्भ पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाए।
- (क) अग्रिम की राशि को वापसी यात्रा की समाप्ति के एक माह के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए।
- (ख) दूसरा अग्रिम तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक प्रथम अग्रिम का लेखा समायोजित नहीं हो जाता है।
- (ii) टी बी तथा कैसर रोगियों के लिए विशेष छूट—पोर्ट कर्मचारी रेलवे मंत्रालय द्वारा स्थान की समुचित श्रेणी में प्रदत्त छूट अथवा निम्न स्थान का उपयोग कर सकता है और यात्रा भत्ता बिलों को इस मामले में संबंधित आदेशों के अधीन अनुज्ञेय की एक सीमा तक विनियमित किया जाएगा।

11. अनुमोदित अस्पताल को भुगतान करने की प्रक्रिया :

कंडला पोर्ट ट्रस्ट सीधे ही अस्पताल को उपचार के प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए अंतरंग उपचार हेतु प्रमाणित राशि का 80% की सीमा तक के अग्रिम का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के जरिये करेगा। अस्पताल बिलों/प्रभारों का अंतिम निपटान कर्मचारी द्वारा रोगी को छुट्टी मिलने के समय किया जाएगा। इन विनियमों के विनियम 8 में समाहित प्रावधानों के अनुसार अस्पताल को भुगतान किए गए अग्रिम के साथ कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए बिलों को सुसंगत दावे के मद्दे समायोजित किया जाएगा और अधिक राशि, यदि कोई हो तो, कर्मचारी के वेतन में से मासिक किस्तों में, जो चार से अधिक न हो, तत्काल वसूली की जाएगी।

12. निर्वचन :

इन विनियमों के निर्वचन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

13. शक्तियों का शिथलीकरण :

इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में शक्तियों का शिथलीकरण बोर्ड के हाथ में होगा।

14. निरसन तथा व्यावृत्ति :

जहां तक इन विनियमों में निहित किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान प्रचालित नहीं रह जाता है तब तक इन विनियमों के प्रारंभ होने के तत्काल बाद प्रत्येक नियम, विनियम, संकल्प अथवा आदेश तुरंत लागू हो जाएगा।

[फा. सं. पी आर-12016/47/98-पीई-1]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2000

G.S.R. 230(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Medical Attendance) Regulations, 2000 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2 The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

KANDLA PORT TRUST

N O T I F I C A T I O N

In exercise of the powers conferred under Section-28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Kandla Port Trust Board hereby makes the following regulations.

1. **Short Title:**

- (i) These regulations may be called the Kandla Port Employees (Medical Attendance) Regulations, 2000.
- (ii) These Regulations shall come into force from the date of publication in the official gazette, the Central Government's approval thereto.

2. **Eligibility:**

These regulations shall apply to:

- (i) All the employees borne on the Schedule of Staff of the Board.
- (ii) "A", "B" and "C" category Shore Workers.
- (iii) Daily Rated Workers engaged by the Board shall be eligible for OPD attendance only.
- (iv) Apprentices who are in the whole time service of the Port Trust Board shall be eligible for OPD attendance only.
- (v) All employees on deputation to the Port Trust Board from the State/Central Governments, other Port Trusts and Public Sector Undertakings subject to the provisions of their terms of deputation.
- (vi) The members of family of the employees of the Board listed at Clause-1 and 2 as defined in Regulation-9 below.
- (vii) In the case of retired employees of Port Trust Board, medical facilities from the Board will be made available in accordance with the Kandla Port Trust

Retired Employees(Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefits)Scheme, 1996, as amended from time to time.

3. Definitions:

In these regulations unless the context otherwise requires:-

- (i) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963.
- (ii) "Approved Hospital" means the hospitals and dispensaries run by Kandla Port Trust, Central Government, Railways and hospitals run by Public Sector Undertakings, State Government, local authority viz. Municipal Committee or Corporation, District Board etc. or any other hospitals and institutions as may be recognised by the Kandla Port Trust Board from time to time.
- (iii) "Board" means the Board of Trustees of the Port of Kandla as constituted under the Major Port Trusts Act, 1963 as amended from time to time.
- (iv) "Chairman", "Deputy Chairman" and "Heads of Department" shall have the meaning assigned to them respectively in the Major Port Trusts Act, 1963.
- (v) "Chief Medical Officer" means the Chief Medical Officer of the Port Trust Board and Head of the Medical Department.

- (vi) “Medical Officer” means the doctor in employment in the Medical Department of Kandla Port Trust Board and Specialists engaged by the Port Trust on part-time basis as well as Medical Officers in-Charge of the patients of the Government/recognised hospitals when such reference is made by C.M.O.

- Note:** (1) Part-time specialists outside port hospitals precincts are just like private medical practitioners and so cannot be regarded as authorised medical attendants, under these regulations.
- (2) No medical attendance/treatment shall be rendered by a Medical Officer while he/she is on leave.
- (vii) “Financial Adviser and Chief Accounts Officer” means the FA&CAO of the Port Trust Board and head of the Finance Department.
- (viii) “Employee” means temporary or permanent employee of the Board (also see sub-regulations (I) to (v) of Regulation-2 of these Regulations.
- (ix) “Patient” means the employee of the Port Trust Board, any of his/her eligible family members and any of those covered under regulation 2 above who has fallen ill and undergoing treatment/medical attendance in the Trust’s hospital, Government

hospital or any other recognised hospital on a reference by Board's Chief Medical Officer.

- (x) "Private Doctor" or "Private Hospital" means a registered medical practitioner/hospital other than the Board's doctor/hospital as at sub-regulation (ii) and (vi) above.
- (xi) "Sanctioning Authority" means the sanctioning authority for the purpose of reimbursement of hospital charges, cost of drugs etc. as prescribed in Appendix-I to these regulations.
- (xii) "Trust's Hospital" means the Kandla Port Trust hospitals and dispensaries functioning at different locations.
- (xiii) "Treatment" means the use of all facilities in various faculties of medical science available in hospitals as per sub-regulation(ii) above, and includes:-
- (a) the employment of such pathological, bacteriological, radiological, cardiological or any other methods as are considered necessary by the Medical Officer as defined in sub Regulation (vi) above.
 - (b) The supply of such vaccines, serum, other therapeutic substances and medicines including Vitamin, Dextrose, Iron preparations, Folic

Acid, Calcium, etc. in any form, as may be prescribed by the treating doctors in the Board's hospital or by the specialist to whom the case is being referred, as are not ordinarily available in hospital but are a must for the treatment of certain special nature of diseases as are defined in Regulation-6, below based on C.S(M.A) Rules Section-3 or any other nature of ailments for saving the life of a patient or for the prevention of serious deterioration in the condition of patient except –

- (i) preparations which are not medicines but are primarily foods, toilet preparations or disinfectants as specified in Schedule-I of Central Services(M.A)Rules.
- (ii) Expensive drugs, laxatives or other detergent and proprietary preparations as specified in Schedule-II to the C.S.(MA)Rules and in respect of which drugs of equal therapeutic value are available.
- (iii) List of medicines and the items which can be prescribed in respect of Ayurvedic, Unani, Siddha and Homoeopathic systems for which refund is admissible will be same as defined in Schedule-III of Appendix to C.S(MA) Rules.

(c) Massage treatment is admissible only when the same is undertaken on the advice of CMO/any Medical Officer of the Board or by the specialist of the referred hospital.

(d) The expenses incurred in connection with physiotherapeutic and occupational therapeutic treatment be admissible provided the treatment is obtained to recoup certain physical weakness/defect which may have occurred as a result of some disease/accident. NO REIMBURSEMENT will, however, be admissible if such treatment is obtained – (a) to improve general physical fitness/stamina; (b) for cosmetic purpose; (c) to improve figure, etc.

(e) Treatment for the same ailment should not be taken simultaneously in more than one system of medicine. In case treatment being received simultaneously for different ailments, reimbursement will be allowed provided it can be certified by attending doctors of either system that such treatment is received with the knowledge of each other.

(f) The expenses incurred for purchase of blood and blood transfusion at Port Trust hospitals, Government hospitals and other institutions recognised for the purpose are reimbursable.

(g) The expenses incurred at recognised hospitals on various items registration, services, procedures, drugs, operation theatre, operations, consultations etc. except room rent will be reimbursed in full.

(h) Such accommodation as is ordinarily provided in the hospital and is suited to the status of the employee. In the case of approved hospitals within the Gujarat State, the rates as applicable in GRMI, Ahmedabad and that of outside State the rates as applicable in the approved rate of that hospital, where patient has been referred will be the criteria for regulating reimbursement. In respect of Port Trust employees, the class of accommodation is determined as per eligibility shown hereunder, which would be revised suitably from time to time:-

(A) B.P. upto Rs.3500/- : General Ward

(B) B.P between Rs.3501/- : Semi Private
and Rs. 4500/-.

(C) B.P between Rs.4501/- : Private-II
and Rs.7000/-.

(D) B.P Rs.7001/- and : Private-I
above.

However, cost of special articles of diet, milk, tea/coffee, telephone, cosmetics, toiletry will not be

reimbursed. Where the rates of accommodation include provision of diet, the rate shall be reduced by 20%.

Note:- In the event of accommodation suited to the status of the employee concerned being not available, accommodation of a higher class may be allotted provided it can be certified by the Medical Superintendent of the Hospital:-

- (a) that accommodation of the appropriate class was not available at the time of admission of the patient and;
- (b) that the admission of the patient into the hospital could not be delayed without danger of his/her health until accommodation of the appropriate class became available.
- (c) That in case even-if at a point of time the accommodation of appropriate class was available and it was considered not advisable to shift the patient under medical advice.
- (d) That in case a patient needs special accommodation for a certain duration owing to the serious nature of ailment, surgical procedures, etc. which is considered absolutely necessary by the treating specialists at recognised hospitals and there is no choice left to the patient the expenses incurred on that account will be reimbursed.

- (i) such nursing as is ordinarily provided to in-patients by hospitals; and as considered absolutely essential by the treating specialists owing to serious condition of the patient for certain hours/days.

4. **Medical Attendance:**

- (i) "Medical Attendance" is distinct from "Medical Treatment". "Medical Attendance" means attendance at the out-patient department of hospital or dispensary. Cost of injections, drugs, etc. during medical attendance is reimbursable. Thus medicines should not be prescribed for more than 10 days at a stretch except in chronic ailments that is requiring prolonged treatment.
- (ii) An employee and his/her eligible dependent family members shall be entitled free of charge, to medical attendance by Board's Medical Officers.

5. **Medical Treatment:**

- (i) an eligible patient shall be entitled, free of charge, in-patient treatment in the Port Trust Hospitals.
- (ii) Where the Port Trust Medical Officer refers the patient for treatment in a recognised hospital or State Government hospital either due to absence of facilities in the Port Trust hospital or the patient had

fallen ill is beyond eight kilometers from the Port Trust hospital, this should be with the specific permission of the Board's CMO. Where such permission could not be obtained prior to commencement of the treatment, this should be obtained immediately after such admission stating the reasons therefor.

- (iii) In respect of cases referred to sub-regulation (I) and (ii) above, any amount paid by the employee on account of such treatment shall, on production of certificate in writing by the concerned Medical Officer be reimbursed by the Board. The scale of rates applicable for various purpose would be as per sub-regulation 3(xiii) above.
- (iv) Charges incurred on account of treatment for immunizing and prophylactic purpose is reimbursable to employees in respect of themselves ~~of~~ members of their families in the cases of communicable, contagious and infectious diseases as considered necessary by Board's Medical Officers and concerned specialist at the referred hospital.

6. **Other Medical Facilities:**

- (i) Reimbursement is admissible for the following kinds of treatment as per these regulations –
- (1) Avitaminosis and Hypovitaminosis

- (2) Correction of Squint (eye)
- (3) Disease(s) causing general debility and secondary anaemia.
- (4) Venereal diseases and Delirium Tremens
- (5) Pre-natal, Confinement and post-natal treatment at Port Trust Hospitals/ Government hospital and recognised hospitals on a reference by CMO.
- (6) Medical termination of pregnancy performed at Port Trust Hospitals/Government hospital.
- (7) Operation for sterilization.
- (8) Anti-rabic treatment
- (9) Dental treatment -- (only in approved hospitals) Surgical operations needed for removal of Odontomes and impacted wisdom tooth; treatment of gum boils, Extraction, Scaling and gum treatment including pyorrhoea and Gingivitis, Filling of teeth, (cost of denture not reimbursable) Root canal treatment.

Note: Existing facilities for reimbursement of expenditure incurred on dental treatment in Government hospitals be extended to similar treatment availed of in private recognised hospitals on the advice of CMO, if such treatment is not available in K.P.T hospital.

10. Treatment of sterility:

Special Diseases:

11. Cancer/Diabetes/Mental

Diseases/Poliomyelitis/Cerebral Palsy and
Spastics/Tubercular

Diseases/Leprosy/Thalassaemia Major, etc. as
notified by Central Government from time to time.

Major/serious ailments:

12. Cardio vascular surgery and related diseases

13. Kidney transplant and related diseases

14. Other organ transplant

15. Joint replacement and surgery

16. Bone-marrow transplant

17. Medical and Oncological disorder, such as Leukaemia and neoplastic conditions.

18. Micro vascular surgery and neuro surgery

19. Treatment with Laser which obviates the need of open surgery

20. Treatment with Argon, Krypton and Yag Laser in Ophthalmic cases

21. Extra corporeal stone disintegration by ultrasonic shock, waves, etc.

(ii) Artificial Appliances – Reimbursement if certified as
essential by concerned specialists of Port

Trust/government hospital or recognised hospital on a reference by Board's CMO, admissible in the following cases:

- (a) Procurement/Adjustment/Repair of artificial orthopaedic appliances.
- (b) Procurement/Adjustment/Repair of Artificial Hearing Aid.
- (c) Cost of Heart Pace Maker and Replacement of Pulse Generator.
- (d) Replacement of diseased Heart valves, artificial Electronic Latynx.
- (e) Cost of knee and hip implants.

Note:-

- (a) Where, under the advice of the concerned specialists, the artificial appliance once purchased is to be repaired/adjusted, it has to be ensured that the cost of repairs/adjustment of appliances is less than the cost of replacement thereof.
- (b) reimbursement of cost of artificial appliances prescribed in the case of patients should be allowed only after three years, for a maximum limit of three times.
- (c) the list of artificial appliances whose cost would be reimbursable to the employees and

the entitled members of their families will be as per provisions of CS(MA) Rules.

- (iii) CT Scan charges reimbursable if undertaken on the advice of specialist of Port Trust/Government hospital and recognised hospital only on a reference by Board's CMO
- (iv) Surgical/Clinical charges incurred for Kidney donor for employee himself/herself or to an eligible member of his/her family as defined in these regulations.
- (v) Inter-Ocular Lens Implantation. – (a) Actual cost of implantation and treatment there to reimbursable if undertaken at Government hospital; if undertaken at private recognised hospitals, the actual cost of Rs.6,500/- whichever is less. Cost of Spectacles, if any, in such cases will not be admissible for reimbursement.
 - b) For conventional cataract operation, cost of spectacles for correction of distant/near vision limited to Rs. 200/- reimbursable. Replacement of spectacles if advised by Ophthalmologist of Port Trust once in every three years.
 - c) Admissible for members of family also.

**7. Procedure for sanctioning claims for
Reimbursement of medical attendance/**

Treatment charges:

- (i) Claims for reimbursement of hospital charges covered under these regulations shall be submitted by the employee in the prescribed form as defined in CS(MA) Rules to the concerned Controlling Officer/Head of Department within 90 days from the date of completion of treatment. In case the treatment is prolonged and continued, claims may be submitted in stages for a period of not less than 30 days.
- (ii) Delay in submission of claim beyond the prescribed time limit may be condoned by the respective controlling authority on merits of each case before the same is signed by the treating doctor
- (iii) The following vouchers and certificates from the hospitals in which the patient has undergone treatment should be submitted by the employee concerned alongwith the claims in the prescribed form:
 - (a) Hospital Bill with full name of the patient and if a family member, name and full particulars of the

- employee concerned. The details of the various charges should also be given.
- (b) Receipt for payment made if the bill itself is not a receipt.
 - (c) Admission and discharge certificate.
 - (d) Cash memos for purchase of medicines (need not be stamped or bear the supplier's acknowledgement) shall be countersigned by the Medical Officer incharge of the patient at the hospital.
 - (e) In referred cases, the cash memos, hospital bills, etc. shall be countersigned by CMO of Port Trust Board.
 - (iv) The claims of the employees shall be scrutinised by the respective controlling officers and the sanction of the Chairman obtained wherever necessary and the claim forwarded after countersignature to the FA&CAO for payment.
 - (v) A register shall be maintained in each department/division to continuously detail the claim reimbursed, in a chronological order to enable periodical review to prevent abuse of medical reimbursement facilities.(Annexure-I).
 - (vi) A patient treated under allopathic system may purchase medicines from all Chemists and Druggists licenced under the Drugs and Cosmetics Act and

rules thereunder. In the case of patient treated under Ayurvedic, Unani, Siddha and Homoeopathic systems, the medicines shall be purchased only from authorised dealers. In all cases, medicines prescribed should be purchased on the same day or the following day positively.

8. **Medical Advance:-**

- (i) admissible to all employees of the Port Trust irrespective of pay limit.
- (ii) ordinarily not more than one advance should be granted in respect of the same illness or injury. However Chairman, if satisfied with the circumstances he can sanction second/subsequent advance. In cases requiring prolonged treatment, reimbursement of medical expenses may continue to be allowed to the extent otherwise admissible under these regulations and advances already sanctioned in such cases should not be adjusted for so long as a certificate from treating Doctor as the patient is produced to that effect that the patient is required to continue treatment and that the anticipated cost of future treatment will not be less than the amount of advance already

granted to him/her by Kandla Port Trust.

- (iii) Advance is restricted to in-patient treatment in a government hospital or recognised hospital only on a reference by CMO.
- (iv) admissible for out-patient treatment for TB and Cancer to the extent of Rs. 10,000/- or the amount recommended by the treating doctor whichever is less, where the duration of the treatment is three months or less.
- (v) For TB where the duration of treatment is more than three months, 80% of the estimated cost or Rs.36,000/- whichever is less, on the certificate of the hospital authority as to the duration and cost of treatment.
- (vi) for major/serious illness, 80% of the amount certified by the treating specialist of the hospital concerned or the package deal wherever it exists.
- (vii) the advance may be paid in one or more instalments for the same illness or injury subject to the ceiling prescribed above.
- (viii) There should be no limit on the total amount that could be drawn as medical advance for different nature of illness on different spells.

- (ix) advance so granted is properly monitored by the controlling officer concerned for adjustment against the relevant claim and excess amount, if any recovered from pay in four instalments commencing from the following month in which treatment is completed. In cases of prolonged treatment, reimbursement may continue to be allowed provided necessary certificate from treating specialist to the effect that the patient is required to continue treatment and that the anticipated cost of future treatment will not be less than the amount of the advance already granted and in that case the advance being adjusted in the final claim.
- (x) the advance is paid directly to the hospital concerned by means of Demand draft and not to the employee.
- (xi) Application for advance should be accompanied by necessary certificate from the treating specialist indicating the duration of treatment and the anticipated cost thereof.
- (xii) in case of serious illness/accident where the employee concerned is unable to apply, the advance may be sanctioned on an application in

writing made on his/her behalf by spouse or other legal heir.

9. **Concessions for Families:-**

1. The term "Family" for the purpose of these regulations shall mean an employee's wife or husband, as the case may be, children (including legally adopted), dependent parents, dependent parents, widowed daughters, minor brothers and sisters wholly dependent upon the port employee in the event of parent/s not alive.
2. Dependency. – Members of the family (other than the spouse) whose income does not exceed Rs. 1500/- per month are treated as wholly dependents on the port employee. Parents residing with the rest of the family members in a station other than the employee's headquarters are also eligible, subject to limit of income as above, for medical facilities and reimbursement thereof. However, the declaration regarding the income and the residence of parents should be furnished by employee concerned once in the beginning of every calander year. In case of pensioners, the original pension (before commutation) should be taken into account for the purpose.

3. A female employee has a choice to include either her parents or her parents-in-law; option exercised can be changed only once during entire service.
4. Children including legally adopted children subject to the following conditions:-

Son : Till he starts earning or attaining the age of 25 years, whichever is earlier.

Daughter : Till she starts earning or gets married, whichever is earlier, Irrespective of age-limit.

Son/Daughter : No age-limit

Suffering from Permanent disability of any kind(physical or Mental).

5. Where both the husband and wife are port employees, either of them may prefer claim for self and eligible members of their family according to their choice. For this purpose, a joint declaration is required to be furnished as to who will be preferring the claim to the respective controlling authority. This declaration shall remain in force till such time it is revised on written request by both.

6. When spouse employed in State/Central Government etc.- when husband or wife of the port employee, as the case may be, employed in a State/Central Government or Public Undertaking or Private organisation which provide medical facilities would be entitled to choose either the facilities available under these Regulations or those provided by the organisation in which he/she is employed. The procedure for making the choice or revision will be the same as at sub-para: 5 above.
7. Every employee shall obtain from the concerned controlling officer, the personal medical IDENTITY CARD and the family medical identity card, duly furnishing the particulars of his/her family members. The identity card should contain the photographs of all the eligible members of the family who are included in the family identity card. Failure to produce the personal medical identity card/family medical identity card at the time of reporting for "Medical Attendance" or "Treatment" (i.e. in OPD as well as indoor treatment) will make the employee or members of his/her family concerned ineligible for availing medical facilities in Port Trust Hospital/Dispensaries under these Regulations or any reference, to outstation hospitals as considered by Board's CMO.

- (d) If the ambulance is used to bring the body of a patient to headquarters for last rites from the outside hospital where he/she was referred by C.M.O of the Board.
- (v) T.A for donor of kidney – admissible at the following rates –
- (a) if the donor is a private person, T.A at the rates of the recipient port employee;
- (b) if the donor is another government servant or his family member, T.A is admissible at the rates applicable to the donor Government employee.
- (vi) Advance of T.A- Advance of T.A to the extent admissible as on tour on production of a copy of reference letter issued by Board's Chief Medical Officer shall be allowed.
- (a) the amount of advance granted should be adjusted within one month of the completion of inward journey:
- (b) a second advance will not be admissible until the account of the first advance has been adjusted.
- (vii) Special Concession to TB and CANCER Patients – Port employees should avail of the

concessions granted by the Ministry of railways in the appropriate class of accommodation or lower accommodation and the T.A bills be regulated to the extent admissible under the relevant orders in the matter.

11. **Procedure for payment to approved hospital:**

Kandla Port Trust shall make the payment of advance for in-patient treatment to the extent of 80% of certified amount direct to the hospital by demand draft to meet the initial cost of treatment. The final settlement of hospital bills/charges will be made by the employee at the time of discharge of patient. The advance so paid to the hospital as well as the bills paid by the employee will be adjusted against the relevant claim and excess amount, if any recovered from the pay of the employee immediately in monthly instalment not exceeding four as per provision contained in Regulation 8 of these regulations.

12. **Interpretation:**

If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Chairman.

13. **Power to Relax:**

The power to relax any of the provisions of these regulations shall rest with the Board.

14. **Repeal and Saving:**

On the commencement of these regulations, every rule, regulation, resolution or order in force immediately before such commencement, shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these Regulations cease to operate.

[F. No. PR-12016/47/98-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.